



सामान्य एवं आरक्षित वर्ग के छात्रों की स्मृति का तुलनात्मक अध्ययन

डॉ. लवकुश सिंह¹ और डॉ. धूव कुमार द्विवेदी²

¹प्रधानाचार्य महर्षि दुर्वासा इन्टर कालेज, ककरा, दुबावल, प्रयागराज (इलाहाबाद)

²प्राचार्य सरस्वती विज्ञान महा. रीवा (म.प्र.)

सारांश:-

प्रस्तुत अध्ययन का सार, निष्कर्ष निश्चित ही सामान्य एवं आरक्षित वर्ग की स्मृति के सन्दर्भ में समानताओं एवं असमानताओं को इंगित करते हैं। समग्र रूप से सामान्य और आरक्षित वर्ग के स्मृति के सन्दर्भ में सामान्य और आरक्षित वर्ग में काई अन्तर नहीं प्राप्त हुआ। अतः प्रस्तुत अध्ययन के निष्कर्ष शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं अपितु समाज के हर क्षेत्र के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। सरकार, समाज, शासन-प्रशासन और समाज सेवी संस्थाओं को माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। विद्यालयों में ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि बालकों की इन समस्याओं का निराकरण हो सके। बालकों के स्मृति को ध्यान में रखते हुए ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए जिससे बालक अपनी अक्षमता के अनुरूप अधिगम कर सके। ऐसे बालक स्मृति सम्बन्धी समस्याओं से ग्रसित है अथवा तीनों ही चरों पर कम योग्यता रखते हैं या अधिक योग्यता रखते हैं ऐसे बालकों के लिए विशेष पाठ्यक्रम, विद्यालयों, कक्षाओं आदि की व्यवस्था किया जाना चाहिए। जिससे उनका समुचित एवं समग्र विकास हो सके। अतः प्रस्तुत शोध अध्ययन के प्राप्त निष्कर्ष एवं परिणामों के आधार पर शिक्षा जगत में सामान्य एवं आरक्षित वर्गों के छात्रों में व्याप्त इन विषमताओं के कारणों को जानकर उन्हें दूर करने का प्रयास शिक्षा जगत, सरकार तथा समाज को करना चाहिए, जिसमें शिक्षा एवं समाज का सकारात्मक विकास हो सके। इस प्रकार वर्तमान शोध-अध्ययन के परिणाम उन शिक्षाशास्त्रियों, प्रशासकों, सलाहकारों और अध्यापकों के लिए उपयोगी होंगे जो माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हैं तथा उच्च विद्वतापूर्ण उपलब्धि एवं अन्य मनोसामाजिक चरों को प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को प्रिति करते हैं।



मुख्य शब्द:- सामान्य एवं आरक्षित वर्ग, छात्रों की स्मृति, तुलना।

प्रस्तावना:-

भारत सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात समाज के पिछडे वर्ग को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विकास के सभी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था की। यह व्यवस्था जातिगत आधार पर की गयी जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग आते हैं भारतीय संविधान में उल्लिखित इन जातियों के लोग आरक्षित वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

भारतीय समाज में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग एक लम्बे समय तक उपेक्षित, प्रताड़ित और शैक्षिक सुविधाओं से वंचित रहा। इन वर्गों का यह पिछड़ापन इनके जीवन में किसी न किसी प्रकार की असंतुष्टि का कारण बना। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को इसलिए आरक्षित किया गया, ताकि जो योग्यताएँ सांस्कृतिक विलम्बन के कारण छिप गईं, उनका प्रदर्शन हो सके तथा योग्यतानुसार प्रतिफल की प्राप्ति के साथ एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण हो।

भारतीय संविधान में संवैधानिक और सांविधिक रूप से आरक्षण की व्यवस्था द्वारा समस्त आरक्षित वर्गों को विभिन्न अवसरों की उपलब्धता ने शैक्षिक सुविधाओं में वृद्धि के साथ-साथ उनके पिछड़ेपन में कमी की है। शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता ने विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि के मार्ग को भी प्रशस्त किया है। विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि उन्हें संतुष्टि भी प्रदान करती है। लेकिन आज भी छात्र एवं छात्राओं के प्रति पारिवारिक दृष्टिकोण में भिन्नता पायी जाती है।

आज जबकि हमें स्वतन्त्रता प्राप्त किए लगभग 70 वर्ष हो गए हैं ऐसे में जिज्ञासा होती है कि क्या आरक्षित वर्ग एवं सामान्य वर्ग के छात्रों की स्मृति में समानता आई है अथवा अब भी उनमें विसंगतियाँ एवं असमानतायें भौजूद हैं? साथ ही यह भी प्रश्न उठता है कि विद्यालयों में अध्ययन या नौकरी में आरक्षण अथवा विभिन्न प्रकार के शुल्क आदि आर्थिक क्षेत्र ही कमोवेश अविरल गति से लागू होने पर भी आज तक क्या आरक्षित वर्ग के छात्रों की स्मृति, में वह विकास परिलक्षित हुआ है? क्या लम्बी अवधि तक सभी प्रकार की सुविधाओं को प्रदान करने के उपरान्त आज आरक्षित वर्ग की स्मृति में सामान्य जैसी स्थिति बन चुकी है अथवा नहीं?

शिक्षण प्रक्रिया में रत विद्वजन विभिन्न स्तर के विद्यार्थियों के लिए शिक्षण उद्देश्य निर्धारित करते हैं तथा इनकी प्राप्ति के लिए शिक्षण अधिगम क्रियाओं का आयोजन करते हैं। विद्यार्थी द्वारा जिस सीमा तक इन उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया जाता है, वही उसकी शैक्षिक उपलब्धि कहलाती है। शैक्षिक उपलब्धि, बालक द्वारा अधिगमित एवं प्रयोग में लाये गये ज्ञान को मापने का सर्वोत्तम साधन है। शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर ही विभेदन द्वारा यह ज्ञात किया जा सकता है कि बालक किस श्रेणी में आता है; अर्थात् वह प्रतिभाशाली है, सामान्य है या पिछड़ा है।

उपर्युक्त शंकाओं एवं जिज्ञासाओं के समाधान हेतु शोधार्थी ने प्रस्तुत अध्ययन में सामान्य एवं आरक्षित वर्ग के छात्रों को अपने शोध का विषय बनाया है छात्रों के स्मृति का तुलनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन करना ही प्रस्तुत अध्ययन का प्रयास है।

स्मृति:—मानव जीवन में स्मरण तथा विस्मरण का अत्यंत महत्व है अच्छी स्मरण शक्ति के अभाव में किसी भी व्यक्ति को अपना जीवन सुचारू ढंग से चलना कठिन हो जाता है व्यक्तियों अथवा बालकों को यह कहते हुये सुना जा सकता है कि अमूर्क व्यक्ति की स्मरण शक्ति सामान्य से कम तथा अधिक है शिक्षा प्रक्रिया में स्मरण का विशेष महत्व है स्मरण शक्ति के अभाव में उच्च स्तरीय बौद्धिक कार्य नहीं किये जा सकते हैं। सीखने की प्रक्रिया में भी स्मरण करने की आवश्यकता होती है। अतः स्मरण तथा विस्मरण के स्वरूप पर विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है। बोलचाल की भाषा में तथा कभी-कभी मनोवैज्ञानिक चर्चाओं में भी स्मरण तथा स्मृति शब्दों को एक समान अर्थों में प्रयोग किया जाता है। स्मृति शब्द वास्तव में एक संज्ञा है, जबकि स्मरण शब्द एक किया का व्यापक है। स्मरण करने से तात्पर्य पूर्ववर्ती अधिगम को चेतना में लाना है। जबकि स्मृति शब्द से तात्पर्य सूचनाओं के उस भंडार से है जिसे व्यक्ति ने अपने मस्तिष्क में संचित कर रखा है।

स्मरण एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति धारणा की गई विषय वस्तु का पुनः स्मरण करके चेतना में लाकर उसका उपयोग करता है किसी विषय वस्तु की धारणा के लिये सर्वप्रथम विषय वस्तु का सीखना आवश्यक है अधिगम के बिना धारण सम्भव नहीं है। तथा धारणा के बिना स्मरण करना सम्भव नहीं हो सकता है। अधिगम के फलस्वरूप प्राणी में कुछ संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं जिन्हें स्मृति चिन्ह तब तक निष्क्रिय रूप में पड़े रहते हैं जब तक कोई बाहरी उदादीपक उर्जे जागृत नहीं करता है। ये स्मृति चिन्ह अर्थात् संरचनात्मक परिवर्तन किस रूप में होते हैं यह कहना कठिन है। फिर भी, इन्हे जैविक-रासायनिक परिवर्तन के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।

इस प्रकार स्मृति वह योग्यता है जो पूर्व अनुभवों अथवा अधिगम से सीखी गई बातों को संचित करने तथा कालान्तर में उसका चेतन जगत में प्रयोग करने से सम्भवित है। किसी व्यक्ति की स्मृति उसके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अतः उपरोक्त कारणों एवं व्यक्ति के जीवन में स्मृति के महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत अध्ययन में स्मृति को भी एक कारक के रूप में रखा गया है।

अध्ययन की आवश्यकताः—

प्रस्तुत अध्ययन एक महत्वपूर्ण सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्या के समाधान हेतु है क्यों कि सामाजिक आर्थिक स्थिति एवं वशानुक्रम का प्रभाव बालक की स्मृति पर पड़ता है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि समाज के पिछड़े वर्ग एवं सामान्य वर्ग के छात्रों की स्मृति का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाय जिससे शिक्षा जगत एवं समाज को उचित दिशा निर्देश मिल सके।

वर्तमान में जहाँ सम्पूर्ण भारत में सर्व शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है तथा साथ ही सभी की शिक्षा को अनिवार्य माना जा रहा है। भारत सरकार द्वारा आरक्षित वर्ग की शिक्षा पर भी जोर दिया जा रहा है। तथा इसके लिए इन्हे उचित शिक्षा की व्यावस्था भी की जा रही है, परन्तु आरक्षित वर्ग की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं, उनके व्यक्तित्व गुणों की विशेषताओं, उनके स्मृति स्तर को जाने बिना आरक्षित वर्ग के समग्र विकास और उनकी शिक्षा-दीक्षा के लिए की जाने वाली व्यवस्थाओं की सफलता संदिग्ध हो सकती है। अतः आवश्यक हो जाता है कि आरक्षित वर्ग के बालकों के स्मृति का अध्ययन किया जाय कि आरक्षित वर्ग के बालक सामान्य बालकों से उपरोक्त आयामों में किस प्रकार भिन्न है तथा उनके कारण क्या है? तथा इन कारणों को किस प्रकार दूर किया जा सकता है।

शोधार्थी ने प्रस्तुत अध्ययन में सामान्य एवं आरक्षित वर्ग के छात्रों की स्मृति का तुलनात्मक अध्ययन करना सुनिश्चित किया है जिससे शिक्षाजगत को उचित दिशा निर्देश मिल सकेगा और शिक्षा में उचित संशोधन एवं संवर्धन हो सकेगा।

विदेशी एवं भारतीय साहित्य के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि अब तक इस क्षेत्र में बहुत कम शोधकार्य हुए हैं। यदि हुए भी हैं तो कुछ सीमित आयामों में ही हुए हैं अधिकांश अध्ययनों में विभिन्न स्तर के छात्रों, अध्यापकों, अभिवावकों पर अध्ययन किया गया है, परन्तु प्रस्तुत अध्ययन माध्यमिक कक्षाओं में अध्ययनरत सामान्य एवं आरक्षित वर्ग के बालकों के स्मृति का तुलनात्मक अध्ययन करने का प्रयास है जिससे शिक्षा जगत को नई दिशा मिल सकेगी।

शिक्षा तीन स्तरों में माध्यमिक स्तर की शिक्षा एक ऐसी कड़ी है जो प्राथमिक स्तर एवं उच्च स्तर की शिक्षा को जोड़ती है। अतएव माध्यमिक शिक्षा द्वारा प्राथमिक शिक्षा की त्रुटियों को दूर किया जा सकता है तथा उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए छात्रों को योग्य बनाया जा सकता है। यदि माध्यमिक स्तर पर किशोरों को उपयुक्त पथ—प्रदर्शन प्रदान करा दिया जाता है तो निश्चित रूप से आगे आने वाली समस्याओं की यथार्थता को समझने में महत्वपूर्ण योगादान होगा व्योकि किशोरावस्था शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं सांवेदिक परिवर्तनों की व्यक्तिगत विकास की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है। वाल्यावस्था तथा प्रौढावस्था के बीच संधि काल होने के कारण किशोरावस्था को जीवन का सर्वाधिक कठिन काल कहा जाता है अतः माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए अत्यन्त सजग, संवेदनशील एवं उचित पथ—प्रदर्शन, निर्देशन की आवश्यकता होती है। यदि किशोरावस्था की शिक्षा में किसी प्रकार की विकृति आती है। तो निश्चित है कि आगामी शिक्षा में विसंगतियों की संभावनाबद्द जायेगी और इसके परिणाम भयंकर होगे। अतः माध्यमिक स्तर के छात्रों की सृति का अध्ययन करना एक आवश्यक कार्य बन जाता है।

वर्तमान शोध अध्ययन के परिणाम उन शिक्षाशास्त्रियों, प्रशासकों, सलाहकारों और अध्यापकों के लिए उपयोगी होगे जो माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हैं तथा उच्च विद्वतापूर्ण उपलब्धि एवं अन्य मनोसामाजिक चरों को प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करते हैं।

समस्या अभिकथन:—प्रस्तुत अध्ययन की समस्या को अग्रलिखित शब्दों में व्यक्त किया गया है:—

"सामान्य एवं आरक्षित वर्ग के छात्रों की सृति का तुलनात्मक अध्ययन"

सामान्य :-

प्रस्तुत अध्ययन में सामान्य से अभिप्राय सामान्य वर्ग के छात्र—छात्राओं से है। दूसरे शब्दों में प्रस्तुत अध्ययन में सामान्य वर्ग का तात्पर्य उन सामान्य अथवा सर्वांग जातियों के छात्र—छात्राओं से है जिन्हे भारतीय संविधान के अनुसार किसी प्रकार का आरक्षण प्राप्त नहीं है। इसमें प्रमुख रूप से ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैश्य आदि जाति के छात्र—छात्राओं को लिया गया है।

आरक्षित वर्ग:-

प्रस्तुत अध्ययन में आरक्षित वर्ग से अभिप्राय आरक्षित वर्ग के छात्र—छात्राओं से है। दूसरे शब्दों में प्रस्तुत अध्ययन में आरक्षित वर्ग का तात्पर्य उन पिछड़ी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के छात्र—छात्राओं से है जिन्हे भारतीय संविधान के अनुसार आरक्षण प्राप्त होता है तथा सेवाओं या रोजगार, प्रवेश—परीक्षाओं आदि में इनके स्थान आरक्षित होते हैं तथा शुल्क आदि में छूट के अतिरिक्त अन्य सुविधायें उपलब्ध करायी जाती हैं।

अतः प्रस्तुत अध्ययन में आरक्षित वर्ग से तात्पर्य पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र—छात्राओं से हैं।

सृति:-

सृति एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति धारणा की गई विषय वस्तु का पुनः स्मरण करके चेतना में लाकर उसका उपयोग करता है। दूसरे शब्दों में सृति वह योग्यता है जो पूर्व अनुभवों अथवा अधिगम से सीखी गई बातों को संचित करने तथा कालान्तर में उसका चेतन जगत में प्रयोग करने से सम्बन्धित है। आइजेन्क के अनुसार:—"सृति प्राणी की वह योग्यता है जिसके द्वारा पूर्व में सम्पन्न अधिगम प्रक्रियाओं सूचना एकत्रित करता है तथा विशिष्ट उत्तोलनाओं के प्रत्युत्तर देने में इन सूचनाओं को पुनः प्रस्तुत करता है।"

प्रस्तुत अध्ययन में सृति से अभिप्राय डॉ० एम० पी० चौधरी द्वारा निर्मित अत्यकालिक सृति परीक्षण पर प्राप्तांकों से है।

अध्ययन के उद्देश्य:-

प्रस्तुत अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए गये:—

1. माध्यमिक स्तर के सामान्य वर्ग के छात्र—छात्राओं के सृति स्तर को ज्ञात करना।
2. माध्यमिक स्तर के आरक्षित वर्ग के छात्र—छात्राओं के सृति स्तर को ज्ञात करना।
3. सामान्य और आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों के सृति स्तर की तुलना करना।
4. लिंग भेद के आधार पर सामान्य वर्ग के छात्र—छात्राओं के सृति स्तर की तुलना करना।
5. आवासगत भेद के आधार पर सामान्य वर्ग के छात्र—छात्राओं के सृति स्तर की तुलना करना।
6. लिंग भेद के आधार पर आरक्षित वर्ग के छात्र—छात्राओं के सृति स्तर की तुलना करना।
7. आवासगत भेद के आधार पर आरक्षित वर्ग के छात्र—छात्राओं के सृति स्तर की तुलना करना।

प्राप्त आंकड़ों समंकों की सांख्यिकीय व्याख्या एवं विश्लेषण करना और निष्कर्ष, सुझाव, और शैक्षिक निहितार्थ प्रस्तुत करना।

अध्ययन की परिकल्पनाये:-

प्रस्तुत अध्ययन की समस्या को दृष्टिगत करते हुए निम्नलिखित शून्य परिकल्पनाओं का निर्माण किया गया ।

1. सामान्य एवं आरक्षित वर्ग के छात्रों के स्मृति स्तर में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
2. लिंग भेद के आधार पर सामान्य वर्ग के छात्र-छात्राओं के स्मृति स्तर में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
3. आवासगत भेद के आधार पर सामान्य वर्ग के ग्रामीण एवं शहरी छात्र-छात्राओं के स्मृति स्तर में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
4. लिंग भेद के आधार पर आरक्षित वर्ग के छात्र-छात्राओं के स्मृति स्तर में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
5. आवासगत भेद के आधार पर आरक्षित वर्ग के ग्रामीण एवं शहरी छात्र-छात्राओं के स्मृति स्तर में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
6. सामान्य वर्ग एवं आरक्षित वर्ग के छात्र-छात्राओं के स्मृति स्तर में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
7. सामान्य वर्ग और आरक्षित वर्ग के छात्राओं के स्मृति स्तर में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
8. सामान्य वर्ग और आरक्षित वर्ग के ग्रामीण के छात्र-छात्राओं के स्मृति स्तर में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
9. सामान्य वर्ग और आरक्षित वर्ग के शहरी छात्र-छात्राओं के स्मृति स्तर में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

अध्ययन का क्षेत्र-

इलाहाबाद जिले के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में स्थित माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा 9 एवं 10 में कक्षाओं में अध्ययनरत 600 छात्र-छात्राओं को न्यादर्श के रूप में चयनित किया गया। इसके लिए सर्वप्रथम इलाहाबाद जिले में ग्रामीण क्षेत्र में स्थित विद्यालयों की सूची बनाकर इस सूची में से 10 ग्रामीण विद्यालयों एवं 10 शहरी विद्यालयों का चयन यादृच्छित विधि से किया गया, तत्पश्चात इन विद्यालयों के कक्षा 9 एवं 10 में अध्ययनरत छात्रों एवं छात्राओं की अलग-अलग सूची बनाकर इन सूचियों में से 300 सामान्य एवं 300 आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों का चयन यादृच्छिक विधि से किया गया, सामान्य एवं आरक्षित प्रत्येक वर्ग में 100 छात्रों तथा 50 छात्राओं तथा प्रत्येक वर्ग में 150 ग्रामीण एवं 150 शहरी विद्यार्थियों का चयन न्यादर्श के रूप में किया गया।

शोध में प्रयुक्त उपकरण:- प्रस्तुत शोध अध्ययन में निम्नलिखित मानकीकृत उपकरणों का प्रयोग आंकड़ों के संकलन हेतु किया गया –

1. डॉ० एम० पी० चौधरी द्वारा निर्मित अल्पकालिक स्मृति परीक्षण

आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण:-

परीक्षणों को प्रशासित करने के उपरान्त उन्हे छात्र, छात्रा ग्रामीण तथा शहरी उप वर्गों में वर्गीकृत करने के पश्चात इन वर्गों उप वर्गों का मध्यमान, मानक विचलन मान ज्ञात करके सारणीकरण करके तुलना की गई।

सामान्य ग्रामीण बालिका		सामान्य शहरी बालिका	
क्र.सं.	स्मृति	क्र.सं.	स्मृति
1	4	1	5
2	8	2	6
3	4	3	7
4	5	4	6
5	7	5	5
6	5	6	2
7	2	7	4
8	3	8	7
9	4	9	2
10	7	10	3
11	8	11	6
12	3	12	4

13	7	13	5
14	6	14	7
15	3	15	2
16	3	16	3
17	5	17	4
18	4	18	7
19	3	19	8
20	6	20	2
21	7	21	5
22	4	22	7
23	6	23	6
24	1	24	4
25	8	25	6

आरक्षित ग्रामीण बालिका

आरक्षित शहरी बालिका

क्र.सं.	सूति	क्र.सं..	सूति
1	2	1	4
2	3	2	3
3	4	3	8
4	7	4	5
5	8	5	7
6	0	6	1
7	5	7	7
8	7	8	3
9	2	9	2
10	1	10	4
11	4	11	1
12	6	12	7
13	3	13	3
14	6	14	0
15	2	15	1
16	4	16	4
17	1	17	8
18	7	18	1
19	5	19	5
20	4	20	7
21	8	21	1
22	1	22	2
23	7	23	3
24	4	24	4
25	6	25	7

समंक सारणी

सामान्य ग्रामीण बालक

सामान्य शहरी बालक

क्र.स.	सूति	क्र.स.	सूति
1	6	1	8
2	1	2	4
3	8	3	1
4	5	4	6
5	2	5	0
6	7	6	3
7	4	7	2
8	6	8	4
9	3	9	8
10	8	10	3
11	4	11	5
12	5	12	7
13	1	13	3
14	6	14	2
15	4	15	4
16	7	16	1
17	2	17	7
18	5	18	3
19	4	19	0
20	8	20	1
21	3	21	4
22	7	22	8
23	6	23	1
24	8	24	5
25	3	25	7

आरक्षित ग्रामीण बालक

आरक्षित शहरी बालक

क्र.स.	सूति	क्र.स.	सूति
1	5	1	7
2	7	2	5
3	2	3	6
4	1	4	7
5	4	5	6
6	6	6	5
7	3	7	1
8	6	8	8
9	2	9	4
10	3	10	6
11	0	11	3
12	1	12	6

13	4	13	7
14	8	14	5
15	1	15	4
16	5	16	4
17	7	17	2
18	1	18	6
19	2	19	8
20	3	20	5
21	4	21	3
22	7	22	1
23	8	23	4
24	0	24	6
25	5	25	7

बुद्धि परीक्षा के विभिन्न घटकों का पारस्परिक एवं कुल फलांक से सह-सम्बन्ध (संख्य = 400)

निष्कर्ष:-

प्रस्तुत अध्ययन के प्रमुख परिणाम एवं निष्कर्ष निम्नवत है-

1. सामान्य वर्ग एवं आरक्षित वर्ग की स्मृति एक समान है अर्थात् सामान्य वर्ग एवं आरक्षित वर्ग के स्मृति पर उनकी सामाजिक स्थिति का कोई प्रभाव नहीं होता है।
2. सामान्य वर्ग के छात्रों एवं छात्राओं के बुद्धि स्तर में समानता है। अर्थात् सामान्य वर्ग के छात्रों एवं छात्राओं के स्मृति स्तर पर उनकी लैंगिक स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
3. सामान्य वर्ग के ग्रामीण छात्र-छात्राओं के स्मृति एक समान है अर्थात् सामान्य वर्ग के ग्रामीण एवं शहरी छात्र-छात्राओं के स्मृति पर उनकी आवासीय स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
4. आरक्षित वर्ग के छात्रों एवं छात्राओं के स्मृति में समानता है। अर्थात् आरक्षित वर्ग के छात्रों एवं छात्राओं के स्मृति स्तर पर उनकी लैंगिक स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
5. आरक्षित वर्ग के ग्रामीण छात्र-छात्राओं के स्मृति एक समान है अर्थात् आरक्षित वर्ग के ग्रामीण एवं शहरी छात्र-छात्राओं के स्मृति पर उनकी आवासीय स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
6. सामान्य वर्ग के छात्रों एवं आरक्षित वर्ग के छात्रों की स्मृति एक समान है अर्थात् सामान्य वर्ग एवं आरक्षित वर्ग के स्मृति पर उनकी सामाजिक स्थिति का कोई प्रभाव नहीं होता है।
7. सामान्य वर्ग के छात्रों एवं आरक्षित वर्ग के छात्राओं के स्मृति में समानता है। अर्थात् छात्राओं के स्मृति पर उनकी सामाजिक स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
8. सामान्य वर्ग के ग्रामीण छात्र-छात्राओं एवं आरक्षित वर्ग के ग्रामीण छात्र-छात्राओं के स्मृति में समानता है। अर्थात् ग्रामीण छात्र-छात्राओं के स्मृति पर उनकी सामाजिक स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
9. सामान्य वर्ग के शहरी छात्र-छात्राओं एवं आरक्षित वर्ग के शहरी छात्र-छात्राओं के स्मृति में समानता है। अर्थात् शहरी छात्र-छात्राओं के स्मृति पर उनकी सामाजिक स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

शैक्षिक निहितार्थ:-

प्रस्तुत अध्ययन के निष्कर्ष निश्चित ही सामान्य एवं आरक्षित वर्ग की स्मृति के सन्दर्भ में समानताओं एवं असमानताओं को इंगित करते हैं।

अतः प्रस्तुत अध्ययन के निष्कर्ष शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं अपितु समाज के हर क्षेत्र के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं।

सरकार, समाज, शासन-प्रशासन और समाज सेवी संस्थाओं को माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। विद्यालयों में ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि बालकों की इन समस्याओं का निराकरण हो सके।

बालकों के बुद्धि, सृजनात्मकता एवं स्मृति को ध्यान में रखते हुए ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए जिससे बालक अपनी अक्षमता के अनुरूप अधिगम कर सके।

ऐसे बालक जो बुद्धि, सृजनात्मकता एवं स्मृति सम्बन्धी समस्याओं से ग्रसित है अथवा तीनों ही चरों पर कम योग्यता रखते हैं या अधिक योग्यता रखते हैं ऐसे बालकों के लिए विशेष पाठ्यक्रम, विद्यालयों, कक्षाओं आदि की व्यवस्था किया जाना चाहिए। जिससे उनका समुचित एवं समग्र विकास हो सके।

अतः प्रस्तुत शोध अध्ययन के प्राप्त निष्कर्षों एवं परिणामों के आधार पर शिक्षा जगत में सामान्य एवं आरक्षित वर्गों के छात्रों में व्याप्त इन विषमताओं के कारणों को जानकर उन्हें दूर करने का प्रयास शिक्षा जगत, सरकार तथा समाज को करना चाहिए, जिसमें शिक्षा एवं समाज का सकारात्मक विकास हो सके।

इस प्रकार वर्तमान शोध-अध्ययन के परिणाम उन शिक्षाशास्त्रियों, प्रशासकों, सलाहकारों और अध्यापकों के लिए उपयोगी होंगे जो माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हैं तथा उच्च विद्वतापूर्ण उपलब्धि एवं अन्य मनोसामाजिक चरों को प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करते हैं।

भावी शोध हेतु सुझाव:-

अध्ययन के दौरान शोधकर्ता के मनो-मस्तिष्क में कई ऐसे बिन्दु उभरे हैं जिन्हे ध्यान में रखते हुए शोधकर्ता भावी अनुसन्धान कर्ताओं के लिए निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत करता है।

1. प्रस्तुत अध्ययन कुछ सीमित न्यादर्श एवं आयामों पर ही हो सका है प्रस्तुत अध्ययन को विस्तृत क्षेत्र और व्यापक न्यादर्श पर कर सकते हैं।
2. प्रस्तुत अध्ययन में सामान्य और आरक्षित वर्ग के माध्यमिक स्तर के छात्रों के स्मृति पर किया गया है भावी अनुसन्धान कर्ता विभिन्न प्रकार के स्तरों एवं पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों पर अध्ययन कर सकते हैं।
3. प्रस्तुत अध्ययन में सामान्य एवं आरक्षित वर्ग के छात्रों के स्मृति का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है, भावी अनुसन्धान कर्ता इन मनोवैज्ञानिक चरों का सहसम्बन्धात्मक अध्ययन कर सकते हैं।
4. विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों, चिकित्सा, अभियान्त्रिकी, कानून, प्रबन्धन आदि के सामान्य एवं आरक्षित वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों के स्मृति, का तुलनात्मक एवं सहसम्बन्धात्मक अध्ययन किया जा सकता है।
5. प्रस्तुत अध्ययन केवल वो समूहों सामान्य एवं आरक्षित वर्ग के छात्रों पर किया गया है भावी अनुसन्धान कर्ता जातिगत आधार पर यथा अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति सर्वण जाति आदि जातियों के स्मृति का तुलनात्मक एवं सहसम्बन्धात्मक अध्ययन कर सकते हैं।
6. सामान्य एवं आरक्षित वर्ग के आध्यापकों, छात्राध्यापकों आदि के स्मृति का अध्ययन किया जा सकता है।
7. सामान्य एवं आरक्षित वर्ग के छात्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का उनके स्मृति के साथ सम्बन्ध का अध्ययन किया जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ:-

1. एडगर श्रस्टन सी. आई. ए. एण्ड के सांगाचारी : कास्ट एण्ड डाइल्स आफ साउदर्न इण्डिया, वाल्यूम 2, कास्मो पब्लिकेशन, देहली, इण्डिया, 1975
2. कानुकाल टी. वी. : रिफलेक्शन आन ए न्यू नेशनल पॉलिसी आन एजूकेशन न्यू फोर्टियर इन एपूकेशन, द मैगजीन आफ एजूकेटर्स, देहली, वाल्यूम – 1 नं० 3, जुलाई-सितम्बर 1980, पेज 25
3. कुमार शिशिर आयुक्त : अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आयुक्त की रिपोर्ट, 1979-80, 1980-81 की सत्ताइसवीं रिपोर्ट
4. के. एफ. ई. : एनसिएण्ट इण्डियन एजूकेशन, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, लन्दन, 1981
5. केतकर एस. वी. : द हिस्ट्री आफ कास्ट इन इण्डिया, कोवर टेलर एण्ड कारपेटर, इथका न्यूयार्क, 1909
6. केल मोतीवानी : सोशियोलॉजी, यूनिवर्सिटी आफ मद्रास, जनरल, 1939, पेज-189
7. कलकत्ता विष्वविद्यालय आयोग (सेण्डलत आयोग)1917-19 : कास्ट एण्ड किनिज इन सेण्डल इण्डिया, द्वारा एर्डियन सी० नायर अमेरिकन सोशियोलॉजिकल रिव्यू।
8. त्रिपाठी, आर. एस. : हिस्ट्री आफ एनसिएण्ट इण्डिया, मोती लाल बनारसी दास, देल्ही, (1940)।
9. थापर रमेश : दाइब कास्ट एण्ड किलिगन न्यू देल्ही।
10. डिवीजन : एजूकेशन टूडे, एडीटेड बाई जोजाफ न्यूयार्क, जी.पी. पुटनमस सन्स (1940)।
11. चिटनिस एस. : द एजूकेशन प्रालम आफ सिड्यूल कास्ट एण्ड डाइल्स कलेज स्टूडेंस इन मद्रास, बाब्बे (1974)) (आई. सी. एस. आर.) फाइनेन्सड।
12. गिलफोर्ड (1950) : फण्डामेन्टल स्टेस्टिक साइकॉलाजी एण्ड एजूकेशन मैकगिव हिल न्यूयार्क।
13. शर्मा, सुरेन्द्र (2007), रिसर्च मैथडोलॉजी-शैक्षिक परिप्रेक्ष्य, नेहा पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली।
14. डेविड जी. मण्डेलबम : सोसाइटी इन इण्डिया, वाल्यूम बन कान्टीट्यूड एण्ड चेन्ज वाल्यूम टू कैलिफोर्निया प्रेस।

15. डैन्डफ आर. : आन द ओरिजिन आफ इन इक्वालिटी एमंग मेन इन वैटेल (एड) अप, सिट।
16. दत्त एन. के. : ओरिजिन एण्ड ग्रोथ आफ सिड्यूल कास्ट इन इण्डिया, वाल्यूम वन, कलकत्ता, फर्मा के. एल. मुखोपाध्याय।
17. देसाई ए. आर. : सोशल बैकवर्ड आफ इण्डियन नेशनलिज्म, बाम्बे पापुलर बुक डिपार्टमेन्ट, (1959)।
18. चौहान बी. आर. : सोशल प्रालम्स रिगार्डिंग एजूकेशन एमांग द सिड्यूल कास्ट, इन पेपर्स आन सोशियोलाजी आफ एजुकेशन, न्यू देहली, एन. सी.आर.टी. (1967)।
19. चौहान बी. आर. नारायण जी, सिंह टी. आर. (1975) : सिड्यूल कास्ट एण्ड एजूकेशन, मेरठ, अनु पब्लिकेशन।
20. चन्द्रशेखर के. : एजूकेशनल प्रालम आफ सिड्यूल क्लास, डिपार्टमेन्ट आफ सोशियोलाजी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी (1969), एन. सी. आर. टी. फाइनेन्सड।
21. गोखले विधेयक (1911) : ई. तथा सरकार की शिक्षा नीति (1913)।
22. गुप्ता एवं गुप्ता (2007), आधुनिक मापन एवं मूल्यांकन, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद।



डॉ. ललवनी शिंह

प्रधानाचार्य महर्षि दुर्वासा इन्टर कालेज, ककरा, दुबावल, प्रयागराज (इलाहाबाद)